

प्रेस- नोट

थाना- रानी की सराय

10 कि०ग्रा० अवैध गांजा, बिक्री के 55,100 रुपया नगद व 01 बोलेरो वाहन के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ दिनांक- 16.03.2024 को व०उ०नि० गोपाल जी मय हमराह को सूचना मिली कि बाडू चौक की तरफ रूदरी अण्डर पास से एक बोलेरो आ रही है, जिसमें गांजा रखा हुआ है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा रूदरी अण्डर पास पहुँचकर चेकिंग की जा रही थी कि बोलेरो वाहन यूपी 50 एडी 0912 को रोककर चेकिंग की गयी, जिसमें तीन व्यक्ति बैठे पाये गये जिन्होंने अपना नाम क्रमशः 1. राकेश उर्फ सोनू पुत्र मुन्शी निवासी सलारपुर थाना सिधारी आजमगढ़ 2. जितेन्द्र उर्फ जितई यादव पुत्र स्व० तिलकधारी यादव निवासी बजहुदीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 3. दिपक उर्फ कल्लू पुत्र छांगूर राम निवासी चौकी गंजौर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ बताया जामा तलाशी के दौरान तीनों व्यक्तियों के पास से 55,100/- रुपये बरामद हुए।

➡ बरामद पैसे के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताये कि हम तीनों व्यक्ति गांजा तस्कर हैं, जो गांजा बेचकर जा रहे थे। बरामद बोलेरो उपरोक्त की तलाशी ली गयी तो 10 कि०ग्रा० नाजायज गांजा बरामद हुआ। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 22.30 बजे रूदरी अण्डर पास से पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 74/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1. राकेश उर्फ सोनू पुत्र मुन्शी निवासी सलारपुर थाना सिधारी आदि 03 नफर पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०सं० 74/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राकेश उर्फ सोनू पुत्र मुन्शी निवासी सलारपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष
2. जितेन्द्र उर्फ जितई यादव पुत्र स्व० तिलकधारी यादव निवासी बजहुदीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष
3. दिपक उर्फ कल्लू पुत्र छांगूर राम निवासी चौकी गंजौर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

बरामदगी -

- 1- 10 कि०ग्रा० अवैध नाजायज गांजा
- 2- 55100 रुपया नगद
- 3- 01 बोलेरो वाहन यूपी 50 एडी 0912

अपराधिक इतिहास-

01. राकेश यादव उर्फ सोनू पुत्र मुन्शी यादव नि० सलारपुर थाना सिधारी आजमगढ़

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	आजमगढ़
01	266/2022	20/27A/29/8 एनडीपीएस एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़
02	270/2022	3/25आर्म्स एक्ट 307 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ़
03	271/2022	8/20 एडीपीएस एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़
04	293/2022	8/20/22/25 एनडीपीएस एक्ट	सिधारी	आजमगढ़
05	300	8/20/22/25 एनडीपीएस एक्ट	सिधारी	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- (1) व०उ०नि० गोपाल जी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (2) उ०नि० अजय प्रताप सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (3) हे०का० चन्दन कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (4) का० धीरज पटेल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (5) का० हृदेश गुप्ता थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़